एक नजर

श्याम मंदिर चांदारूण में अन्नकूट महोत्सव आज

सीमा सन्देश संवाददाता

डेगाना। आज गुरूवार देव उठनी एकादशी के अवसर पर श्याम मंदिर चादारूण मे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। श्याम मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद हैडा ने जानकारी देकर बताया की देवउठनी एकादशी के अवसर पर गुरूवार को भव्य आयोजन किया जायेगा। जिसमें 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाकर श्यामधणी को भोग लगाया जायेगा। श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जायेगा। उसके बाद रात्री को भजन संध्या आयोजित होगी। इससे पूर्व द्वारका प्रसाद हेडा ने बताया की डेगाना के वेंकेटेश मंदिर से सुबह शोभायात्रा निकाली जायेगी। जो डेगाना के मुख्य रास्तों से होकर चांदारूण रोड, बाल हनुमान मंदिर, चांदारूण चौराहा से होकर श्याम मंदिर पहुंचेगी जिसका आयोजकों के द्वारा स्वागत किया जायेगा।

डॉ. रीटा सिंह के समर्थन में जनसभा

कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाकर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का सुनहरा अवसर : चौटाला

सीमा सन्देश संवाददाता

दांतारामगढ़। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यन्त सिंह चौटाला ने दांता के ठाकुर मदनसिंह मार्केट में जेजेपी प्रत्याशी डॉ. रीटा सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के पास कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाकर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन लाने का सुनहरा अवसर हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने हरियाणा में बड़े बदलाव के कदम उठाकर गरीब किसान, युवा वर्ग को लाभान्वित किया है इसलिए राजस्थान के हित में स्थानीय लोग जेजेपी का साथ दें ताकि हम सब मिलकर राजस्थान में बड़ा बदलाव ला सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में किसानों की फसलों की बेहतर ढंग से खरीद करके दो दिन में उसका सीधा खातों में भुगतान किया जाता हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने के लिए 75 प्रतिशत रोजगार कानून बनाया गया हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जेजेपी की सरकार में हिस्सेदारी होने पर यहां के युवाओं के लिए भी प्राइवेट उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार का हक दिलाया जाएगा। इस बार राजस्थान में सरकार बिना चाबी के नहीं बनेगी। इस लिए ज्यादा से ज्यादा डाक्टर रीटा सिंह को वोट देकर विजय बनाये, चौटाला ने रीटा सिंह को विजय दिलाने की अपील की। जेजेपी प्रत्याशी डॉ. रीटा सिंह के समर्थन में जनसभा को पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

कांग्रेस प्रत्याशी मिर्धा के स्वागत मे बिछाए पलक पावड़े

सीमा सन्देश संवाददाता

डेगाना। विधान चुनावों के प्रचार अभियान के दोरान गांवों मे जा रहे सभी प्रत्याशियों को मतदाता बराबर का सम्मान देकर स्वागत सत्कार करने मे कोई कसर नही छोड़ रहे है। जिससे गद्‌गद कांग्रेस, भाजपा और रालोपा के प्रत्याशी जनता का अपने पक्ष मे समर्थन मानकर अपनी जीत को पक्का कर रहे है। लेकिन मतदाताओं का रूझान क्या हे ओर चुनावों मे उंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा निकालना मुश्किल है। प्रचार अभियान में निर्दलीय भी कम नही है। अपनी पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं के साथ गांव गांव जाकर वोट मांग रहे है। इसी क्रम बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा ने विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों का तूफानी दौराकर विकास के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस प्रत्याशी मिर्धा ने बुधवार को लुणियास, रलियावता, राजलोता, मेहराणा, रामगढ़, घाणा, जावा, किरड, कितलसर, रावलियास, देवनगर, चांदारूण के साथ अनेकों ढाणियों मे प्रचार किया। जंहा पर वीरतेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रिछपाल सिंह मिर्धा ने डेगाना विधायक के पिछले पांच साल के कार्यकाल मे डेगाना विधान सभा के प्रत्येक गांव ओर ढाणियों मे कराये विकास कार्य तथा प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याण योजनाओं ओर उपलब्धियों के बारे में बताया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बोला हमला : भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत के समर्थन में सभा आयोजित

जहां-जहां कांग्रेस सरकार वहां वहां हुआ घोटाला व भ्रष्टाचार : नड्डा

सीमा संदेश संवाददाता

दांतारामगढ़। दांता कस्बे में भाजपा प्रत्याशी के लिये सभा आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान दांता में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गजानंद कुमावत के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस पर आक्रामक हमला बोला। नड्डा ने कहा, जहां-जहां कांग्रेस सरकार वहां-वहां घोटाला व भ्रष्टाचार है। नड्डा ने एक-एक कर सभी मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस के पुराने घोटालों कोयला, वृद्धावस्था पेंशन घोटाले, मिड डे मील घोटाले, पेपर लीक प्रकरण आदि पर सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि संस्कारों, देशभक्ति और राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत प्रदेश को बदतर स्थिति में ले जाने की जिम्मेदार कांग्रेस है।

राजस्थान जो पूरे विश्व में मान मयार्दा और सम्मान के लिए जाना जाता था वह भ्रष्टाचार और बलात्कार के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन पर चल रहा है जो कि हम सभी के लिए शर्मनाक विषय है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के उन्मूलन के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीब के उत्थान, नारी सुरक्षा की गारंटी के लिए आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान करें। पेपर लीक प्रकरण पर सरकार को घेरते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 19 बार पेपर लीक करवा कर इस सरकार ने युवाओं के सपने तोड़े है। वहीं अलग-अलग जगह के नारी उत्पीड़न को याद दिलाते हुए उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि आपको एकजुट होकर भाजपा के दांतारामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत को विजय बनाना है। जनसभा में भाजपा ने कई तरह के वादे किये ओर सरकार बनने पर दांतारामगढ़ में यमुना नदी का पानी लाने का वादा किया। सभा में हजारों की संख्या में महिला-पुरुष मौजूद रहे।

श्री आदि गौड़ विप्र समाज ने मतदान के लिए किया पोस्टर का विमोचन

सीमा सन्देश संवाददाता

कुचामन सिटी। नावां विधानसभा चुनावी समर के बीच अधिक से अधिक मतदान करने के लिए श्री आदि गौड़ विप्र समाज कुचामन सिटी ने शत फीसदी मतदान करने के लक्ष्य को लेकर जागरूकता अभियान की शुरूआत की है। जिसका पोस्टर विमोचन कर कार्यक्रम की शुरूआत की।

महामंत्री कमल कुमार गौड़ (इन्दौरिया) ने बताया कि संकल्प महा अभियान का उद्देश्य नावां के सभी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना है ताकि नावां विधानसभा में अधिक से अधिक मतदान हो सके। कार्यक्रम के तहत सर्व समाज से अपील की गई है कि लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्षों में एक बार आता है। इस महापर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए क्योंकि हमारे त्योहार प्रतिवर्ष आते है और सभी अपने-अपने धर्म के अनुसार प्रतिवर्ष मानते हैं उसी तरह राष्ट्रीय हित के पर्व को भी सभी समाज मिलकर एक साथ मनाने का मौका 5 वर्षों में एक बार ही मिलता है।

इस अवसर पर राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के नागौर जिला अध्यक्ष गिरिराज शर्मा (खरीट), जिला महामंत्री सुरेश गौड़, सर्व ब्राह्मण समाज नगर अध्यक्ष घनश्याम गौड़, श्री आदि गौड़ समाज समिति नगर अध्यक्ष वेद श्याम स्वरूप गौड़, महामंत्री कमल कुमार गौड़ (इंदौरिया), मनीष कौशिक, मुरारी जी प्रधान, शत्रुघ्न गौड़, रामस्वरूप शर्मा, नारायण जी लाटा, रवि करणवाल, प्रवीण शर्मा, सौरभ गौड़, राजकुमार महर्षि, सुरेंद्र गौड़, संपत शर्मा, प्रभात प्रधान, मुरारी गौड़, श्रीकांत महर्षि सहित अनेक लोग मौजूद थे।

रक्तदान शिविर का आयोजन

सीमा सन्देश संवाददाता

लोसल। स्थानीय शेखावाटी शिक्षण समूह एवं थ्री राज बटालियन एनसीसी सीकर के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निजी सचिव भरत शर्मा ने बताया कि शिविर में शेखावाटी महाविद्यालय, शेखावाटी कॉलेज फॉर एजुकेशन, एवं स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। समूह चेयरमैन बी.एल. रणवां ने शिविर में भाग लेने वाले रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव ही मानव के काम आता है और रक्त का दान मानवता की सेवा है जो ईश्वर सेवा के बराबर है। समय-समय पर रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक आयोजन से समाज की सच्ची सेवा की जा सकती है। और शेखावाटी परिवार ने हमेशा से ही ऐसे सामाजिक सरोकारों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। शिविर में शांति ब्लड बैंक जयपुर एवं सीकर ब्लड बैंक सीकर की टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की सभी को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, दीवार घड़ी प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर 3 राज बटालियन एनसीसी की तरफ से सूबेदार बने सिंह व हवलदार मनोहर सिंह तथा शेखावाटी इंग्लिश मीडियम डायरेक्टर राहुल रणवां शेखावाटी स्कूल मौलासर डायरेक्टर रोहित रणवां शेखावाटी महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्य गोपाल बाजिया शेखावाटी स्कूल प्राचार्य ओम प्रकाश रणवां, नवल किशोर शर्मा, खेमाराम चंदेलिया, नेमीचंद रणवां, विनोद कुमावत, अजीत शर्मा, सुनीता सेवदा, मुकेश, रेणू शर्मा, रेखा व समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

मतदान उपरांत सेल्फी अपलोड करने पर मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट

जयपुर(कासं.)।

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने की पहल की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर मतदान के उपरांत सेल्फी अपलोड करने वाले मतदाता को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 25 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए मतदान केन्द्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाये गये है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट से मतदाताओं द्वारा सेल्फी लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करने पर डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा।

वोट वृक्ष एवं दीपदान के साथ सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम आयोजित

सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन मतदान की अपील

सीमा सन्देश संवाददाता

कुचामन सिटी। विधानसभा क्षेत्र नावां में चुनावी माहौल दिन प्रतिदिन रंग में आ रहा है वहीं चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान में नागौर की धरा पर गली-मोहल्ले से लेकर गांव-ढाणी तक लोकतंत्र सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा। सात दिनों तक संचालित किए जाने वाले इस लोकतंत्र सप्ताह का आगाज 16 नवम्बर से हुआ, जो हर दिन नवाचार से मतदाताओं को मतदान के प्रति आकर्षण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। बुधवार की थीम लालच पर होगी चोट, सोच समझ कर करेंगे वोट रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव के मार्गदर्शन में संचालित लिए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान नावां रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम विश्वामित्र मीणा के निर्देशन में नावां विधान सभा क्षेत्र में स्वीप प्रभारी जे आर कुड़ी नायब तहसीलदार चितावा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल खाचरिया, ब्लॉक विकास अधिकारी राजूराम सैनी, प्रधानाचार्या मंजू चौधरी, चंपालाल सोनी, डॉ ईश्वर राम बेड़ा, सीडीपीओ रामकुमार ने स्वीप प्लान के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए है। सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन नैतिकता एवं आदर्श मतदान जिसका कलर और थीम लालच पर होगी चोट, सोच समझ कर करेंगे वोट रहा।

बुधवार को कुचामन सिटी में सतरंगी सप्ताह का आयोजन हुआ। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हेला टोली के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमे जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

आज सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध

कर सकेंगे डोर टू डोर संपर्क

नागौर (सीमा संदेश संवाददाता)।

विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। लोक सुरक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किए गए हैं।

वाहनों से मतदाताओं के परिवहन पर रहेगी रोक : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। साथ ही मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को भी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगी।

थियेटर, टेलीविजन आदि से भी प्रचार पर रोक : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे की समायावधि में चुनाव से जुड़ी समस्त सार्वजनिक सभा, जुलूस के साथ चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान प्रत्याशी विशेष के पक्ष में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन से चुनाव सम्बंधी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

लाउडस्पीकर पर भी रहेगी रोक : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

डॉ. अमित यादव ने बताया कि इस समयावधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर : जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने बताया कि समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिलिकोसिस समिति नागौर के पदाधिकारियों ने की सीएम से भेंट

सीमा सन्देश संवाददाता

डेगाना। सिलिकोसिस मजदूर संघ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुखराम चौधरी ने समिति के पदाधिकारियों के साथ जयपुर स्थित सीएम आवास पर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत से भेंट कर सिलिकोसिस नामक बिमारी से पीडित मजदूर ओर उनके परिवारों की समस्या से अवगत कराया ओर सिलिकोसिस समिति को खान मजदूर कल्याण बोर्ड मे शामिल करने की मांग की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष सुखराम चोधरी, प्रदेश महामंत्री बंसीलाल, रामनिवास मेहरा, हाबूदेवी मेघवाल, पूनम ओर वाहिदा खान मोजूद रही।

ऐक्सिस बैंक पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्त्ता ऐक्सिस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणीयों को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियमों के नियन 8 के तहत् उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांक को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी/सहऋणी का नाम	संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक	मांग सूचना में बकाया राशि (रू. में)
श्री विनोद जाट (आवेदक); बादाम चौधरी (सह-आवेदक)	प्लॉट नं. ए-917, जेडीए कॉलोनी, नारदपुरा, जयपुर।	31-08-2023	22/11/2023	रू.3137499/- + ब्याज एवं लागतें
मनीष कुमार पाण्डे (आवेदक) विकास कुमार (सह-आवेदक)	विला नं. आरजी-12, रोज गार्डन, कॉसमॉस ग्रीन, गांव- सैदपुर, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी राजस्थान 301019	27-06-2023	17/11/2023	रू.5013059/- + ब्याज एवं लागतें

उपरोक्त वर्णित ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार को 30 दिवस का भुगतान हेतु नोटिस दिया जाता है अन्यथा इस नोटिस के प्रकाशन से 30 दिवस की समयावधि पूर्ण होने पर बंधक संपत्ति प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएगी।

ऋणीयों को सचेत किया जाता है कि वे सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय में प्रतिभूत आस्तियों का मोचन करवा लेवें। हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) ऐक्सिस बैंक लिमिटेड

OMKARA **ओमकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**

कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028 टेलीफोनः 022-2654400/7303021311

[परिशिष्ट-IV-A] [देखें नियम 8(6) के प्रावधान]
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आमजन को और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित ऋणधारक(ों) और जमानतदार(ों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल संपत्तियों को सुरक्षित लेनदार द्वारा गिरवी/चार्ज किया गया है, जिसका कब्जा टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (टीजेएसबी) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 02.08.2016 को लिया गया था। इसके अलावा, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस 26/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत) ने असाइनर बैंक से अंतर्निहित प्रतिभूति सहित टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (असाइनर बैंक) से दिनांक 28.01.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के द्वारा से उपरोक्त ऋणधारकों/जमानतदार के खिलाफ पड़े सम्पूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। तद्नुसार, ओमकाराएआरसी ने असाइनर बैंक की भूमिका में कदम रखा है।

नीचे दिखाए गए संबंधित ऋणधारकों और जमानतदारों से सुरक्षित ऋणदाता अर्थात ओएआरपीएल की बकाया राशि जो संबंधित कॉलम में दर्शाई गई राशि की वसूली के लिए ओएआरपीएल के प्राधिकृत अधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे सुरक्षित आस्तियों को बेचने का इरादा रखते हैं, सम्पत्ति को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग करते हुए 14.12.2023 को सुबह 11.00 बजे (बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय 13.12.2023 शाम 4.00 बजे तक है) 'जो है जहां है', 'जो है क्या है', और 'वहां जो भी है' और 'बिना किसी रिकोर्स' पर के अनुसार बेचा जाएगा। ऋणधारक(ों)/जमानतदारों/बंधककर्ताओं, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस की तारीख, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तारीख और समय का विवरण दिया निम्नानुसार गया हैः ऋणधारक(ों)/जमानतदार(ों) की अचल संपत्ति और ज्ञात ऋणभार (यदि कोई हो) का विवरण इस प्रकार हैः

ऋणधारक(ों)/ जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना और राशि	आरक्षित राशि / ईएमडी
केडीजे हॉलिडेस्केप्स और रिसॉर्ट्स लिमिटेड (ऋणधारक), श्री सुरेंद्र देवीप्रसाद केडिया (जमानतदार), श्री विनोद शुभकरण देवड़ा (जमानतदार), श्री दिनेशकुमार राधाकृष्ण जालान (जमानतदार), प्रेस्टिजसिटी डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड (कॉर्पोरेट जमानतदार), केडीजे हॉस्पिटैलिटी प्रा. लिमिटेड (कॉर्पोरेट जमानतदार),	प्रेस्टीज सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ग्राम मोगरा कल्ला, पाली रोड, जोधपुर (राजस्थान) के खसरा संख्या 141, 141/1, 141/2, 141/3, 178, 178/1,178/2, 179/1, 179/2, 183 और 184 पर प्लॉट कमर्शियल बी क्षेत्र 1504.20 वर्ग याईस स्थित पंजीकृत बंधक सम्पत्ति। अधिमापन लगभग 13537.80 वर्ग फीट. सीमाबद्ध इस प्रकारः उत्तरः सड़क, पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, दक्षिणः सड़क **मालिकः** प्रेस्टिज सिटी डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड **गुगल समन्वयः** 26.138006, 73.058087	03.12.2015 को धारा 13(2) के अधीन बकाया के भुगतान के लिए डिमांड नोटिस एकत्र राशि 30.11.2015 के अनुसार रुपये 3,58,83,912/- (रुपये तीन करोड़ अठावन लाख तिरासी हजार नौ सौ बारह मात्र) इस पर आगामी ब्याज व प्रभारों सहित।	रुपये 65.00 लाख / रुपये 6.50 लाख

ई-नीलामी की तिथि	14.12.2023 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे (दोपहर) तक
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार रुपए मात्र)
संपत्ति का निरीक्षण	दिनांकः- 12.12.2023, समयः- प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समयः	13.12.2023 सायं 4.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता वेबसाइट यानी http://omkaraarc.com/auction.php. पर दिए गए लिंक को देखें। बोलीदाता वेबसाइट http://Avww.bankeauction.com पर भी जा सकते हैं या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड', दूरभाष हेल्पलाइनः +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com, श्री भाविक पंड्या, मोबाइलः 8866682937 ईमेल maharashtra@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी, श्री वेंकटरमन अय्यर, मोबाइल नंबर +91-9372942892 मेलः venkataraman.iyer@omkaraarc.com और श्री अश्विन नेवालकर, मोबाइलः +91-7303021311, मेलः ashwin@omkaraarc.com से संपर्क करें। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करना होगा और घोषणा देनी होगी, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया नियम और शर्तें देखें।

नियम 8(6) सहित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अधीन विक्रय के लिए वैधानिक नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) तथा प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन उक्त ऋण खाता के ऋणधारक(ों)/सह-ऋणधारक(ों)/बंधककर्ता(ओं) को यह नोटिस कम से कम 15 (पंद्रह) दिवस का आवश्यक नोटिस भी है, उन्हें सूचित किया जा रहा है कि उक्त तिथि व समय पर ई-नीलामी के माध्यम से हो रही नीलामी/बिक्री को रोकने के लिए सलाह दी जाती है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के अनुसार, यदि वे चाहें आस्तियों को मुक्त करा सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के अधीन निर्धारित ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी।

दिनांक : 23.11.2023
स्थान : जोधपुर

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी,
ओमकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(ओमकारा पीएस 17/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)